

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई 2018—श्रावण 4, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्र. 12400-248-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१८

[दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, परन्तुक में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) जो,—

(एक) किसी विकास योजना क्षेत्र;

(दो) किसी स्थानीय निकाय की बाहरी परिधि पर स्थित किसी स्थानीय निकाय या ग्राम;

(तीन) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) के प्रवर्तन के क्षेत्र; और

(चार) नेशनल हाइवेज एक्ट, १९५६ (१९५६ का ४७) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ (क्रमांक ११ सन् २००५) की धारा ३ के अधीन अधिसूचित राजमार्ग के दोनों ओर पांच सौ मीटर,

में स्थित हो;”;

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “विकास योजना” का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में इसके लिए समनुदेशित है;

(ख) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या कोई नगरपालिक परिषद्.”

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (३) में, शब्द “दखलरहित भूमि” के स्थान पर, शब्द “६० वर्ग मीटर तक की दखलरहित भूमि” स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ८ सन् २०१८) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्र. 12400-248-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 22 OF 2018

THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI (VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhinyam, 1970.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhinyam, 2018. Short title.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhinyam, 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act), in the proviso,— Amendment of Section 3.

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) situated in,—

- (i) any development plan area;
- (ii) any local body or village situated on the outer periphery of any local body;
- (iii) area of operation of the Madhya Pradesh Nagriya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984); and
- (iv) five hundred metres on both sides of a national highway specified in, or declared under, the National Highways Act, 1956 (XLVII of 1956) or highway notified under Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhinyam, 2004 (No. 11 of 2005);”;

(ii) after clause (c), the following explanation shall be added, namely:—

“**Explanation.**—For the purpose of this Section;

- (a) “development plan” shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973);

- (b) "local body" means any municipal corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), or any municipality or any municipal council constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).".

**Amendment of
Section 4.**

3. In Section 4 of the principal Act in sub-section (3), for the words "unoccupied land", the words "upto 60 square metre unoccupied land" shall be substituted.

**Repeal and
Saving.**

4. (1) The Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhyadesh, 2018 (No. 8 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.